कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल-462004
//आदेश//

भोपाल,दिनांक 6/9/2018

क्रमांक/ 170/74/आउशि/अनु.ब/18. म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-73/52/38-3/99 दिनांक 28/10/1999 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। उसमें कंडिका-10 पर अंकित शर्त जिसमें 01.01.96 से वेतनमान लागू होगे परन्तु अन्य सुविधाओं का लाभ भारत सरकार द्वारा विज्ञप्ति दिनांक 27.7.98 अथवा 6.11.98 से लागू मानी जावेगी।

2. उक्त अनुक्रम में म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 73/59/38-3/99 दिनांक 28/10/99 एवं म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/73-5/2014/38-3 दिनांक 19-20/3/15 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 1/124 /2010/38-1, दिनांक 14/9/12 में अंकित चार्ट उल्लेखित अर्हता के तहत परीक्षण अनुसार डॉ. डी.के.जोशी की पदोन्नति प्राध्यापक पद पर दिनांक 19.6.90 को वेतनमान 3700-5700 पर हुई है और उसका अनुमोदन म.प्र.अनुदान आयोग के पत्र क्र/ जेबिएल/10/पी-91-92/8890 दिनांक 9.12.91 द्वारा अनुमोदन किया गया है और इसी अनुक्रम में डॉ. जोशी की पदोन्नति से रिक्त सहा.प्राध्या.पद की अनुमति पत्र दिनांक 5.6.92 में दी गई है इसमें भी डॉ.जोशी की पदोन्नति का उल्लेख किया गया है। कार्यालयीन पत्र दिनांक 12.7.13 के स्पष्टीकरण के बिन्दु-1 में उल्लेख अनुसार "दिनांक 1.1.06 से पूर्व पदोन्नत प्राध्यापक जो रू. 12000-18300 में 03 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत थे जिन्हें दिनांक 1.1.06 से लागू यू.जी.सी.वेतनमान रूपये 37000-67000 +9000 एजीपी में ही वेतन निर्धारित किया जाना चाहिये था उनके लिये **इस कार्यालय के चतुर्थ पे-बैण्ड में स्थानन के आदेश की आवश्यकता नही होने के कारण** उन्हे एरियर भुगतान में कोई आपत्ति नहीं है।" अतः ऐसी स्थिति एवं चतुर्थ पे-बैण्ड के प्रावधान संबंधी आदेश दिनांक 14.9.12 के अनुक्रम में परीक्षणोपरान्त **अनुदान प्राप्त अशासकीय केशरवानी महाविद्यालय, जबलपुर के डॉ.डी.के.जोशी, सेनि प्राध्यापक,इतिहास** को प्राप्त जानकारी एवं अभिलेखों तथा प्रावधानों के आधार पर **प्राध्यापक पद के वेतनमान (3700-5700)के संगत वेतनमान चतुर्थ पे-बैण्ड (37400-67000+ 9000) में दिनांक 1.1.2006 से स्थानन** स्वीकृत किया जाता है ।

3. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित अधिकारियों का वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार निर्धारित करें तथा इस हेतु किसी भी प्रकार के अनियमित/अधिक भुगतान हेतु वचन पत्र संबंधी प्रावधान का भी पालन सुनिश्चित करें । यह भी सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित अधिकारी अनुदान हेतु स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से निरंतर कार्यरत रहे है ।

4. यदि किसी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त/आर्थिक अपराध एवं अन्य कोई जांच संस्थित है तो ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण की कार्यवाही न करते हुये तत्काल जानकारी आयुक्त,उच्च शिक्षा को भेजें ।

5. यदि किसी अधिकारी द्वारा वेतनमान संबंधी न्यायालयीन प्रकरण दायर किया है तो निर्णय के परिपेक्ष्य में वेतन निर्धारण/भुगतान कर प्रकरण का तत्काल निराकरण करते हुये इस कार्यालय को अवगत करावें।

6. शासन द्वारा जारी अद्यतन नियमों को पालन सुनिश्चित किया जावे । किसी भी प्रकार के अनियमित वेतन निर्धारण/भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं संस्था प्राचार्य की होगी ।
(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

5/9/17

(डॉ.सुषमा दुबे)
अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

पृ0क0/ 1771 /74/आउशि/अनु.ब/18 भोपाल,दिनांक 6/9/2018

प्रतिलिपिः-

1. माननीय मंत्री,उच्च शिक्षा,म.प्र.शासन के निज सचिव ।
2. प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल ।
3. महालेखाकार,मध्यप्रदेश,ग्वालियर ।
4. कार्यालय संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
5. संबंधित उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा,जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. कुलसचिव,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर ।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,जबलपुर संभाग,जबलपुर ।
8. वि.क.अ.(आई.टी.सेल),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,भोपाल की ओर विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
9. प्राचार्य/शिक्षाधिकारी, शासकीय अग्रणी महाकौशल कला वाणिज्य महाविद्यालय,जबलपुर ।
10. प्राचार्य,अनुदान प्राप्त अशासकीय केशरवानी महाविद्यालय,जबलपुर । कृपया आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को भी उपलब्ध कराने का करावे ।
11. कोषालय/उप कोषालय अधिकारी,संबंधित कोषालय,भोपाल मध्यप्रदेश।
12. संबंधित अधिकारी,अनुदान प्राप्त अशासकीय केशरवानी महाविद्यालय,जबलपुर ।

..............................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अपर संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल